न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 91 / 2007

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनिया
RAS

1 चैनसिंह आयु 49 साल पुत्र पालसिंह जाति राजपूत निवासी बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 मांगूसिंह पुत्र पालसिंह।
2 शिम्भूसिंह पुत्र पालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16.10.2007
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
डनवानी मुकदमा चैनसिंह बनाम मांगूसिंह
वगैरह बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा
नम्बर 73/2006

उपस्थित

1. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवान सिंह शेखावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–25.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 73/06 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी चैनसिंह ने अप्रार्थीगण मांगुसिंह व शिम्भूसिंह के विरूद्व विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधा प्रस्तुत कर खाता संख्या 89,2 व 3 की भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि को काश्त करने में दखल नही डालने पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर काउन्टर टीआई पेश कर आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियों शामलाती है अपीलांट अपने हिस्से में आई खाता संख्या 89,2 व 3 की भूमियों पर काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय को उसके कब्जे काश्त की सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा दी जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि शामलाती है रेस्पोडेंट विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। यह उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमियां शामलाती व सहखातेदारी की है विभाजन से पूर्व किसी एक पक्षकार का निश्चित भू–भाग पर कब्जा मानते हुये अस्थाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निषेधाज्ञा दिया जाना विधि समत नही है। परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट का काउन्टर टी.आई. भी विचाराधीन था एवं प्रार्थी

अपीलांट द्वारा उसका जवाब भी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस पर विचारण न्यायालय में कोई निर्णय नही किया गया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय सम्पूर्ण एवं विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र, काउन्टर टी.आई. दोनों पर उभयपक्ष को सुनकर पुन निर्णय करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22.11.2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष अपने उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर